(वाद सं0–6427/4/26/2021)

20.04.2022

संचिका आज उपस्थापित की गयी। संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि समान आशय का मामला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में वाद सं0–3697/4/2/2020 के रूप में पंजीकृत है तथा वहां उसकी सुनवाई चल रही है। उपरोक्त वाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–23.02.2020 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया हैः–

"The Commission has further observed that the State Authorities are also transmitting copy of the reports to Bihar SHRC in respect of Case No. 6427/4/26/2021 pending before the State Commission. It is made clear that as the Commission has taken prior cognizance of the matter so in view of sec 36(1) of PHR Act, 1993, the Bihar SHRC is barred from proceeding any more in the instant case. Hence, the Registry is also directed to take up the matter with the Bihar State Human Rights Commission and in case SHRC has taken cognizance of the same matter on a later date then the SHRC may close the case."

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र (पृ0–93/प0) तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र (पृ0–92–88/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचनार्थ भेज दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>निबंधक</u>